प्रेस नोट **26.02.2023**

थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत बेटी के ससुराल आये व्यक्ति के हत्या की घटना का सफल अनावरण, दामाद ने ही की थी हत्या, गिरफ्तार, निशानदेही पर आलाकत्ल लोहे का दाव बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.02.2023 को थाना दोहरीघाट पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस टीमों द्वारा जरिये विवेचना और वैज्ञानिक साक्षों के आधार पर पाउस से मु0अ0सं0 34/23 धारा 302 भादवि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त नर्वेश तिवारी पुत्र गौरी तिवारी निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर घर के पिछे पोखरी के किनारे छाड़ी में छूपा कर रखा आलाकत्ल लोहे का दाव बरामद किया गया।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.02.2023 को मेरे ससुर हमारे घर आये थे चाय–पानी करने के बाद हम दोनो शाम को बाजार गये वही हम दोनो ने खुब शराब पिया। जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे तभी मेरे ससुर मेरी पत्नी की विदाई के लिए बार बार कहने लगे, जब मैने कहा घर पर कोई नही है मेरी बहन और उसका छोटा बच्चा है उनका देखभाल कैसे होगा, बाद में विदाई होगी। इस बात पर वह गुस्सा होकर मुझे अपशब्द बोलते हुए कहासुनी करने लगे और मुझे थप्पड मारने लगे। शराब के नशे में वह मुझे जान से मारने पर आमदा हो गये। चुकी मै भी शराब के नशे में था क्रोध में मै भी उनसे भीड गया और मेड़ पर से उनको खेत में ढकेल दिया, शराब के नशे में होने के कारण वह वहा से उठने लायक नही थे और मै गुस्से में ही घर जाकर लोहे का दाव लाकर उनके गले पर कई बार प्रहार कर दिया और वहा से भाग गया। दाव को और अपने कपडों को जिस पर खुन लगा हुआ था घर के पिछे पोखरी के पास लगी छाडियों में फेक दिया।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26.02.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा सरसेना बाजार से मु0अ0सं0 29/23 धारा 376,323,506 भादवि0 व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सूर्यप्रताप पुत्र हरेन्द्र राम निवासी धर्मागतपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 326/22 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 धर्मदेव सिंह निवासी लैरोदोनवार थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 45/23 धारा 420,306 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अमित राय पुत्र पद्माकर राय निवासी बड़गांव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26.02.2023 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अदरी से लक्ष्मण मौर्य पुत्र कतवारू मौर्य निवासी अदरी थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तलवार बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/23 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शमसाद पुत्र स्व0 मुख्तार निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।